न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 193/2017 दायरा दिनांक : 06.11.2017

उनवान

1— नन्दकिशोर आयु 41 वर्ष पुत्र श्री आनन्दीलाल, जाति मीणा, निवासी बमोरी, तहसील अटरू, जिला बारां

2— शांतिबाई आयु 76 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द, जाति मीणा, निवासी भेसडा, तहसील अटरू, जिला बारां

3— काली बाई आयु 66 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी सत्यनारायण, जाति मीणा, निवासी काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां

4— कैलाश बाई आयु 61 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी छीतरलाल, जाति मीणा, निवासी खेडली नाहारिया, तहसील अटरू, जिला बारां

5— गीताबाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

6— गायत्री बाई आयु 51 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी चेतराम, जाति मीणा, निवासी कोहनी, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामचन्द्र पुत्र श्री औंकारलाल, जाति मीणा, निवासी डडवाडा, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— काली बाई बेवा रामचन्द्र, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासी डडवाडा, तहसील अटरू, जिला बारां

1/2— रमेश चन्द आयु 55 वर्ष, रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी डडवाडा, तहसील अटरू, जिला बारां

1/3– रामप्रसाद आयु 48 वर्ष रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी डडवाडा, तहसील अटरू, जिला बारां

1/4– भोजराज आयु 45 वर्ष रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी डडवाडा, तहसील अटरू, जिला बारां

1/5– सुसर बाई आयु 42 वर्ष पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र पत्नी जाति मीणा हाल निवासी राजपुरा (थामली के पास) तहसील बारां जिला बारां

2– जोधराज आयु 51 वर्ष पुत्र आनन्दीलाल, जाति मीणा, निवासी बमोरी, तहसील अटरू, जिला बारां

3– नरेन्द्र आयु 34 वर्ष पुत्र भागचन्द, जाति मीणा, निवासी बमोरी, तहसील अटरू, जिला बारां

4– मनभर आयु 32 वर्ष पत्नी धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी बमोरी, तहसील अटरू, जिला बारां

5– उप पंजीयक महोदय, अटरू कार्यालय अटरू, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राजेन्द्र सुमन एवं श्री बृजराज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 54/2016 निर्णय दिनांक 21.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक दावा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया । वादी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 9 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि खाता संख्या 85 का खसरा नम्बर 120 रकबा 2.11 हेक्टर व खसरा नम्बर 335/511 रकबा 0.34 हेक्टर आराजी का रहन, बेचान नहीं करें एवं वर्तमान रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे तथा प्रार्थी रेस्पोडेंट को आराजी पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करावे जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । रेस्पोडेंट क्रम 1 रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका था । दोनों पक्षकारान राजस्व केम्प बमोरी में उपस्थित नहीं हुए थे । इस प्रकार मृतक रामचन्द्र के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिये बिना एवं पक्षकारान की अनुपस्थिति में उपरोक्त आदेश पारित किया गया है जो विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2017 अपास्त किया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी का अन्य आराजी से 18 वर्ष पूर्व अदला बदली की गई थी एवं उसी अनुसार उपरोक्त आराजी पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट काबिज काश्त हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है और उसे यथावत रखा जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज एवं निर्णय का अध्ययन किया गया । जिसमें वादग्रस्त आराजी के अदला–बदली बाबत एक राजीनामा, बेचाननामा सलंग्न है तथा जमाबंदी इत्यादि की प्रतियां भी सलंग्न है जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर टाईटल को लेकर विवाद है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी पर दोनों पक्षों को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है । इस न्यायालय की दृष्टि में उपरोक्त निर्णय उचित है क्योंकि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा को हटाया जाता है और आराजी खुर्द–बुर्द अथवा बेचान की जाती है तो अन्य विवाद पैदा होने की संभावना रहेगी । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित मानते हुए यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा